25

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 24/2022 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0मा0
पुत्र श्री शेर सिंह यादव,नि. 34 अल्कापुरी–ए मुरलीपुरा जयपुर 302039 उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार,
GCMS No-2022/24

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

16.2.2022

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 16.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पत्रांक एफ.2(207)सूकाअ/2021/1878–84 दिनांक 21.10.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधि0 स्थापना/राजस्व अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. यह है कि श्रीमति राजरानी यादव द्वारा दिनांक 5.6.2021 को जिला कलेक्टर स0मा0 को जरिये ई मेल पर प्रेषित परिवाद विरूद्व श्री देवी सिंह तहसीलदार खण्डार व अन्य द्वारा अजीत शेखावत निवासी दौलतपुरा की गैर कृषि गतिविधि, कृषि भूमि पर के संबंध में खातदेारी व 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही बाबत नियुक्त जॉच अधिकारी एवं जॉच अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही जॉच रिपोर्ट मय संलग्नक मय डीएम द्वारा की गयी कार्यवाही पत्राचार मय परिवाद एवं सम्पूर्ण नोट शीट की प्र0प्रति मय जॉच अधिकारी नियुक्ति के आदेश की प्र0प्रति।
2. यह है कि इसी प्रकार दिनांक 2.6.2021 को मा0 जिला कलेक्टर स0मा0 को श्रीमति राजरानी द्वारा प्रेषित परिवाद जरिये ई–मेल बाबत राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से अजीत शेखावत नि0 दौलतपुरा द्वारा कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य से अवेध लाभ कमाने पर नियुक्ति जॉच अधिकारी एवं प्राप्त जॉच रिपोर्ट मय संलग्नक मय परिवाद व जिला कलेक्टर द्वारा की कार्यवाही की प्र0प्रति।
3. यह है कि जिला कलेक्टर स0मा0 के कार्य पत्रांक प(1)(8)(10)/शिकायत/स्था./2020/4904 दिनांक 15.9.2020 की प्र0प्रति तथा जिला कलेक्टर द्वारा अवैध गतिविधियों के संबंध में उक्त अजीत सिंह के विरूद्व की गयी कार्यवाही व पाबंदी की प्र0प्रति।
4. यह है कि जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय पत्रांक प.12/विविध/राजस्व/6349 दिनांक 30.11.2017 एवं सम संख्यक पत्रांक 5870 दिनांक 27.10.2018 की प्र0प्रति एवं उक्त आदेशो के क्रम व पालना मे तहसीलदार खण्डार से प्राप्त रिपोर्ट की प्र0प्रति।
5. यह है कि नायब तहसीलदार खण्डार के मु0न0 116/2021 ग्राम कटार तथा मु.न. 266/2021,264/2021 तथा 265/2021 बाबत 91 एलआरएक्ट की सम्पूर्ण पत्रावली मय आर्डर मय निर्णय मय बयान पटवारी/गिरदावर, खसरा परिवर्तनशील मय 91 एलआर एक्ट नोटिस की प्र0प्रति मय गिरदावरी व जमाबन्दी उक्त भूमि के संबंध की प्र0प्रति व उक्त प्रकरणो के संबंध में।
6. यह है कि तहसीलदार खण्डार के मु.न. 113/2020 तथा 136/2019–20 बाबत 91 एलआर एक्ट के संबंध में प्राप्त प्रथम [illegible] निर्णय की प्र0प्रति मय आर्डर शीट मे अंकन बाबत निर्णय प्रथम अपील [illegible] पत्रावलियों के संबंध में तथा तहसीलदार खण्डार एवं आईएलआर फ[illegible] व पटवारी द्वारा उक्त अपीलों के निर्णय के संबंध में की गयी कार्यवाही/जॉच रिपोर्ट की प्र0प्रति।
7. (1)यह है कि तहसीलदार खण्डार के मु.न. 186/2021,185/2021 के निर्णय 91 एलआर एक्ट की प्र0प्रति तथा मु.न. 186/2021 के विरूद्व प्रथम अपील के निर्णय के विरूद्व प्रथम अपील के निर्णय के संबंध में तहसीलदार खण्डार, आईएलआर तथा पटवारी द्वारा की गयी कार्यवाही व मौका रिपोर्ट की प्र0प्रति मय सम्पूर्ण पत्रावली, 85/2021 की प्र0प्रति मय आर्डरशीट की तथा खसरा परिवर्तनशील/जमाबन्दी की प्र0प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:17:14 IST
Reason: SelfAttested

(2).यह है कि दिनांक 16.6.2021 को उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा मुकदमा उनवानी सरकार जरिये एसएचओ खण्डार बनाम रामचरण मांगीलाल,गिरार्ज,बुद्वि वगै. मे की गयी कार्यवाही पाबंदी व जमानत/मुचलको व बंध पत्रों की प्र0प्रति मय आदेशिका।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर स0मा0/उपजिला कलेक्टर खण्डार/तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधि0 स्थापना/राजस्व अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर स0मा0/उपजिला कलेक्टर खण्डार/तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधि0 स्थापना/राजस्व अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर एवं उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से क्रमशः प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक एफ.2(207)/सूकाअ/2021/2735 दिनांक 1.2.2022 एवं उपजिला कलेक्टर का जवाब क्रमांक सूकाअ/2022/241 दिनांक 15.2.2022 एवं तहसीलदार का जवाब क्रमांकप.2(4)/सूकाअ/रीडर/2022/104 दिनांक 10.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि बिन्दु संख्या 1,2,4,की सूचना (कुल 17 पृष्ठो की) राजस्व अनुभाग के पत्रांक 1190 दिनांक 12.12.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। संस्थापन अनुभाग से संबंधित बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि अनुभाग के पत्रांक 1319 दिनांक 25.1.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 5,6 की सूचना के लिए 80/–रू जमा करवाने हेतु अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1096 दिनांक 9.11.2021 एवं बिन्दु संख्या 7(1) की सूचना के लिए 30/–रू जमा करवाने हेतु तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 1325 दिनांक 10.11.2021 से लिखा गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण वांछित सूचनाऐ उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 7(2) की सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक/सू.का.अ.()/2021/1568 दिनांक 25.10.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.10.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,3,4 एवं 7(2) की सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व/संस्थापन अनुभाग एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 5,6,7(1) की सूचना के लिए तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा अभी तक शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 5,6,7(1) की सूचना के लिए तहसीलदार खण्डार को वांछित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करे। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:17:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर